रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 476] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 16, 1994/कार्तिक 25, 1916
No. 476] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 16, 1994/KARTIKA 25, 1916

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVT. OF INDIA

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1994

सा.का.नि. 816 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चलचित्र (प्रमाणन) (तीसरा संशोधन) नियम, 1994 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983 के नियम 24 में,

(1) उपनियम (2) के अंत में, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :

"परन्तु उपनियम (11) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अध्यक्ष, इतनी संख्या में, जितनी वह उपयुक्त समझे, महिला सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करके, समिति में महिलाओं को सम्यक् प्रतिनिधित्व देगा।"

(2) विद्यमान उपनियम (11) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(11) पुनरीक्षण समिति की गणपूर्ति पांच सदस्यों से होगी जिनमें कम से कम दो महिला सदस्य होंगी :

परन्तु महिला सदस्यों की संख्या उपनियम (2) के अधीन गठित समिति के कुल सदस्यों के आधे से कम नहीं होगी।"

[फा.सं. 802/5/94-एफ. (सी.)]

शर्वरी गोखले, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. 381 (अ)

दिनांक 9 मई, 1983 द्वारा प्रकाशित हुए तथा तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :

1. सा.का.नि. 83 (अ) दिनांक 28-2-84
2. सा.का.नि. 413 (अ) दिनांक 29-5-84
3. सा.का.नि. 814 (अ) दिनांक 13-12-84
4. सा.का.नि 772 (अ) दिनांक 21-10-89
5. सा.का.नि. 702 (अ) दिनांक 27-11-91
6. सा का.नि 67 (अ) दिनाक 30-1-92
7. सा.का.नि 603 (अ) दिनाक 3-8-94

## MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

## NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 1994

G.S.R. 816(E).—In exercise of the powers conferred by section 8 of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cinematograph (Certification) Rules, 1983, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Cinematograph (Certification) (Third Amendment) Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 24 of the Cinematograph (Certification) Rules, 1983,—

(1) at the end of sub-rule (2), the following proviso shall be added, namely :—

"Provided that subject to the provisions of sub-rule (11), the Chairman shall give due representation to women in the Committee by nominating such number of women members as he thinks fit."

(2) for the existing sub-rule (11), the following shall be substituted, namely :—

"(11) The quorum of the Revising Committee shall be five members of whom at least two persons shall be women :

Provided that the number of women members shall not be less than one-half of the total members of a Committee constituted under sub-rule (2)."

[File No. 802/5/94-F(C)]

SHARWAREE GOKHALE, Jt. Secy.

Footnote : The principal rules were published vide GSR 381(E) dated 9-5-83 in the Extraordinary Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) and amended by :

(i) GSR 83(E) dated 28-2-84 ;
(ii) GSR 413(E) dated 29-5-84 ;
(iii) GSR 814(E) dated 13-12-84 ;
(iv) GSR 772(E) dated 21-10-89 ;
(v) GSR 702(E) dated 27-11-91 ;
(vi) GSR 67(E) dated 30-1-92 ;
(vii) GSR 603(E) dated 3-8-94.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1994

सा.का.नि. 817 (अ).—केन्द्रीय सरकार, चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चलचित्र (प्रमाणन) (दूसरा संशोधन) नियम, 1994 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983 में,—

(1) नियम 3 के पश्चात्, निम्नलिखित नया नियम अन्त : स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"3क. बोर्ड में महिलाओं का प्रतिनिधित्व :—केन्द्रीय सरकार, बोर्ड में महिला सदस्यों को नियुक्ति के लिए ऐसे कदम उठा सकेगी, जो वह ठीक समझे, ताकि महिलाओं के लिए सम्यक् प्रतिनिधित्व हो ।"

(2) नियम 7 के उपनियम (3) में, परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि सलाहकार पैनल में महिलाओं का सम्यक् प्रतिनिधित्व होगा ।"

[फा.सं. 802/6/94-एफ (सी)]

शर्वरी गोखले, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. 381 (अ) दिनाक 9 मई, 1983

द्वारा प्रकाशित हुए तथा तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :—

1. सा.का.नि. 83 (अ) दिनांक 28-2-84
2. सा.का.नि. 413 (अ) दिनांक 29-5-84
3. सा.का.नि. 814 (अ) दिनांक 13-12-84
4. सा.का.नि. 772 (अ) दिनांक 21-10-89
5. सा.का.नि. 702 (अ) दिनांक 27-11-91
6. सा.का.नि. 67 (अ) दिनांक 30-1-92
7. सा.का.नि. 603 (अ) दिनांक 3-8-94

## NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 1994

G.S.R. 817(E).—In exercise of the powers conferred by section 8 of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cinematograph (Certification) Rules, 1983, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Cinematograph (Certification) (Second Amendment) Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cinematograph (Certification) Rules, 1983,—

(1) after the rule 3, the following new rule shall be inserted, namely :—

"3A. Representation of women in the Board.—The Central Government may take such steps as it thinks fit to appoint women members in the Board so that there is due representation for women".

(2) in sub-rule (3) of rule 7, after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided further that there shall be due representation to women in an advisory panel."

[File No. 802|5|94-F(C)]

SHARWAREE GOKHALE, Jt. Secy.

Footnote : The principal rules were published vide GSR 381(E) dated 9-5-83 in the Extraordinary Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) and amended by :

(i) GSR 83(E) dated 28-2-84 ;
(ii) GSR 413(E) dated 29-5-84 ;
(iii) GSR 814(E) dated 13-12-84 ;
(iv) GSR 772(E) dated 21-10-89 ;
(v) GSR 702(E) dated 27-11-91 ;
(vi) GSR 67(E) dated 30-1-92 ;
(vii) GSR 603(E) dated 3-8-94.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994